



भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग



**क्या आपके घरेलू उद्योग को आयात (इम्पोर्ट) के निम्नलिखित कारणों से हानि हो रही है:**

- डम्पिंग?
- दूसरे देशों द्वारा दी जा रही सब्सिडी?
- आयात में अचानक तेजी?

यदि हां, तो आप व्यापार उपचार महानिदेशालय (डी.जी.टी.आर) में एंटी-डम्पिंग, काउंटरवेलिंग अथवा सेफगार्ड उपाय लगाने के लिए उपयुक्त व्यापार उपचार आवेदन-पत्र दे सकते हैं

अथवा

**क्या आपके निर्यात (एक्सपोर्ट) पर किसी अन्य देश में व्यापार उपचार जाँच चल रही है?**

यदि हां, तो डी.जी.टी.आर उपयुक्त मार्गदर्शन के साथ जाँच के दौरान आपकी सहायता कर सकता है।



भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग



क्या आपके घरेलू उद्योग को आयात (इम्पोर्ट) के निम्नलिखित कारणों से हानि हो रही है:

- डम्पिंग?
- दूसरे देशों द्वारा दी जा रही सब्सिडी?
- आयात में अचानक तेजी?

यदि हां, तो आप व्यापार उपचार महानिदेशालय (डी.जी.टी.आर) में एंटी-डम्पिंग, काउंटरवेलिंग अथवा सेफगार्ड उपाय लगाने के लिए उपयुक्त व्यापार उपचार आवेदन-पत्र दे सकते हैं

अथवा

क्या आपके निर्यात (एक्सपोर्ट) पर किसी अन्य देश में व्यापार उपचार जाँच चल रही है?

यदि हां, तो डी.जी.टी.आर उपयुक्त मार्गदर्शन के साथ जाँच के दौरान आपकी सहायता कर सकता है।

अधिक जानकारी और पूछताछ के लिए कृपया [helpdesk.dgtr@gov.in](mailto:helpdesk.dgtr@gov.in) पर ई-मेल करें अथवा 1800-111-808 पर संपर्क करें।

संयुक्त सचिव (प्रशासन)  
वाणिज्य विभाग,  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,  
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011  
011-2306-2261



ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ  
ਫਟਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ  
ਫਟਜ ਵਿਭਾਗ



**ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ (ਇੰਪੋਰਟ) ਦੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ  
ਦਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ :**

- ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਿੱਪਾ ?
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਇਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ?
- ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰ ਉਪਚਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.) ਵਿਚ ਐਂਟੀ-ਡਾਇਪਿੰਗ, ਕਾਊਂਟਰਵੇਲਿੰਗ ਜਾਂ ਸੇਫਗਾਰਡ ਉਪਾਅ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਵਪਾਰ ਉਪਚਾਰ ਬਿਨੈ-ਦਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ

**ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਮਦ (ਐਕਸਪੋਰਟਰ) 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਪਾਰ  
ਉਪਚਾਰ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ?**

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰ ਉਪਚਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.) ਵਿਚ ਡੀ. ਜੀ. ਟੀ. ਆਰ. ਢੁੱਕਵੇਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।



## तुमच्या घरगुती उद्योगाला आयातीच्या (इम्पोर्ट) खालील कारणांमुळे नुकसान होत आहे का :

- डम्पिंग?
- अन्य देशांद्वारे दिली जात असलेली सब्सिडी?
- आयातीला अचानक आलेला वेग?

जर तसे असेल तर, तुम्ही व्यापार उपचार महासंचालनालयात (डी.जी.टी.आर.) अँटी डम्पिंग, काउंटरवेलिंग अथवा सेफगार्ड उपायासाठी उपयुक्त व्यापार उपचार अर्ज सादर करू शकता.

अथवा

## तुमच्या निर्यातीवर (एक्सपोर्ट) कोणत्याही अन्य देशात व्यापार उपचार चौकशी सुरू आहे का?

जर तसे असेल तर, डी.जी.टी.आर. योग्य मार्गदर्शनासह चौकशीवेली तुमची मदत करू शकतो.

अधिक माहिती आणि चौकशीसाठी कृपया <mailto:helpdesk.dgtr@gov.in> वर ई-मेल करा अथवा 1800-11-808 वर संपर्क साधा.

संयुक्त सचिव (प्रशासन)  
वाणिज्य विभाग,  
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय,  
उद्योग भवन, नवी दिल्ली - 110011  
011-2306-2261



भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग

DAVP 05101/13/0010/1920

क्या आपके घरेलू उद्योग को आयात (इम्पोर्ट) के निम्नलिखित कारणों से हानि हो रही है:

- डम्पिंग?
- दूसरे देशों द्वारा दी जा रही सब्सिडी?
- आयात में अचानक तेजी?

यदि हां, तो आप व्यापार उपचार महानिदेशालय (डी.जी.टी.आर) में एंटी-डम्पिंग, काउंटरवेलिंग अथवा सेफगार्ड उपाय लगाने के लिए उपयुक्त व्यापार उपचार आवेदन-पत्र दे सकते हैं

अथवा

क्या आपके निर्यात (एक्सपोर्ट) पर किसी अन्य देश में व्यापार उपचार जाँच चल रही है?

यदि हां, तो डी.जी.टी.आर उपयुक्त मार्गदर्शन के साथ जाँच के दौरान आपकी सहायता कर सकता है।

अधिक जानकारी और पूछताछ के लिए कृपया [helpdesk.dgtr@gov.in](mailto:helpdesk.dgtr@gov.in) पर ई-मेल करें अथवा 1800-111-808 पर संपर्क करें।

संयुक्त सचिव (प्रशासन)  
वाणिज्य विभाग,  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,  
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011  
011-2306-2261



भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग

क्या आपके घरेलू उद्योग को आयात (इम्पोर्ट) के निम्नलिखित कारणों से हानि हो रही है:

- डम्पिंग?
- दूसरे देशों द्वारा दी जा रही सब्सिडी?
- आयात में अचानक तेजी?

यदि हां, तो आप व्यापार उपचार महानिदेशालय (डी.जी.टी.आर) में एंटी-डम्पिंग, काउंटरवेलिंग अथवा सेफगार्ड उपाय लगाने के लिए उपयुक्त व्यापार उपचार आवेदन-पत्र दे सकते हैं

अथवा

क्या आपके निर्यात (एक्सपोर्ट) पर किसी अन्य देश में व्यापार उपचार जाँच चल रही है?

यदि हां, तो डी.जी.टी.आर उपयुक्त मार्गदर्शन के साथ जाँच के दौरान आपकी सहायता कर सकता है।



भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग



## क्या आपके घरेलू उद्योग को आयात (इम्पोर्ट) के निम्नलिखित कारणों से हानि हो रही है:

- डम्पिंग?
- दूसरे देशों द्वारा दी जा रही सब्सिडी?
- आयात में अचानक तेजी?

यदि हां, तो आप व्यापार उपचार महानिदेशालय (डी.जी.टी.आर) में एंटी-डम्पिंग, काउंटरवेलिंग अथवा सेफगार्ड उपाय लगाने के लिए उपयुक्त व्यापार उपचार आवेदन-पत्र दे सकते हैं

अथवा

## क्या आपके निर्यात (एक्सपोर्ट) पर किसी अन्य देश में व्यापार उपचार जाँच चल रही है?

यदि हां, तो डी.जी.टी.आर उपयुक्त मार्गदर्शन के साथ जाँच के दौरान आपकी सहायता कर सकता है।

अधिक जानकारी और पूछताछ के लिए कृपया [helpdesk.dgtr@gov.in](mailto:helpdesk.dgtr@gov.in) पर ई-मेल करें अथवा 1800-111-808 पर संपर्क करें।

संयुक्त सचिव (प्रशासन)  
वाणिज्य विभाग,  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,  
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011  
011-2306-2261

के में  
आई  
ने में  
।।  
ल



भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग



## क्या आपके घरेलू उद्योग को आयात (इम्पोर्ट) के निम्नलिखित कारणों से हानि हो रही है:

- डम्पिंग?
- दूसरे देशों द्वारा दी जा रही सब्सिडी?
- आयात में अचानक तेजी?

DAYP/0510/13/0010/1920

यदि हां, तो आप व्यापार उपचार महानिदेशालय (डी.जी.टी.आर) में एंटी-डम्पिंग, काउंटरवेलिंग अथवा सेफगार्ड उपाय लगाने के लिए उपयुक्त व्यापार उपचार आवेदन-पत्र दे सकते हैं

अथवा

## क्या आपके निर्यात (एक्सपोर्ट) पर किसी अन्य देश में व्यापार उपचार जाँच चल रही है?

यदि हां, तो डी.जी.टी.आर उपयुक्त मार्गदर्शन के साथ जाँच के दौरान आपकी सहायता कर सकता है।

अधिक जानकारी और पूछताछ के लिए कृपया [helpdesk.dgtr@gov.in](mailto:helpdesk.dgtr@gov.in) पर ई-मेल करें अथवा 1800-111-808 पर संपर्क करें।

संयुक्त सचिव (प्रशासन)  
वाणिज्य विभाग,  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,  
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011  
011-2306-2261





భారత ప్రభుత్వం  
వాణిజ్య మరియు పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ  
వాణిజ్య శాఖ



## మీ దేశీయ పరిశ్రమ దిగువ తెలిపిన వాటి కారణంగా దిగుమతుల నుంచి నష్టాన్ని ఎదుర్కొంటుందా:

- డంపింగ్ ?
- విదేశాల ద్వారా సబ్సిడీలు ?
- దిగుమతులలో అకస్మాత్తుగా పెరుగుదల?

ఆ విధంగా ఉంటే, మీరు డంపింగ్ కు వ్యతిరేకంగా, సరితూకమైన లేదా సంరక్షణ చర్య విధింపునకు తగిన వ్యాపార ప్రతిక్రియ దరఖాస్తును డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ ట్రేడ్ రెమెడీస్ (DGTR)లో దాఖలు చేయవచ్చును.

### లేదా

## మీ ఎగుమతులు మరే ఇతర దేశంలోనైనా ఏదేని వ్యాపార ప్రతిక్రియ దర్యాప్తును ఎదుర్కొంటున్నాయా?

ఆ విధంగా ఉంటే, తగిన మార్గనిర్దేశంతో DGTR దర్యాప్తు జరిగేటపుడు మీకు సహాయం అందిస్తుంది.

DAYP 05101/13/0010/1920

తదుపరి మార్గనిర్దేశం లేదా విచారణకు [helpdesk.dgtr@gov.in](mailto:helpdesk.dgtr@gov.in) కు ఇ-మెయిల్ చేయండి లేదా 1800-111-808పై మాకు కాల్ చేయండి

జాయింట్ సెక్రటరీ (అడ్మినిస్ట్రేషన్)  
వాణిజ్య శాఖ  
వాణిజ్య మరియు పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ  
ఉద్యోగ భవన్, న్యూఢిల్లీ - 110 011

011- 2306 2261

వ  
గువా  
యా  
ప్రదేశ  
చింది  
వెయి  
(ఆంధ్ర  
నిలిచి  
పల్లవి  
వెల్లి కా  
  
భూ  
భువనే  
సీజన్ల  
చేసింది  
స్టేడియ  
భారత్  
రాంధ్ర  
శుభారు  
కార్పొరే  
స్లో భ  
పత్యం  
సమన్వ  
ర్తి గోల్  
భారత  
సింగ్  
రెండు  
సింగ్  
సింగ్  
సింగ్  
ఉపాధా  
తలా  
నెదర్లాం  
జాన్స్  
జెరాన్  
గోల్ చే  
నెదర్లాం  
మ్యాన్  
5 గంట  
ప్రత్యక్ష



भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग



**क्या आपके घरेलू उद्योग को आयात (इम्पोर्ट) के निम्नलिखित कारणों से हानि हो रही है:**

- डम्पिंग?
- दूसरे देशों द्वारा दी जा रही सब्सिडी?
- आयात में अचानक तेजी?

यदि हां, तो आप व्यापार उपचार महानिदेशालय (डी.जी.टी.आर) में एंटी-डम्पिंग, काउंटरवेलिंग अथवा सेफगार्ड उपाय लगाने के लिए उपयुक्त व्यापार उपचार आवेदन-पत्र दे सकते हैं

अथवा

**क्या आपके निर्यात (एक्सपोर्ट) पर किसी अन्य देश में व्यापार उपचार जाँच चल रही है?**

यदि हां, तो डी.जी.टी.आर उपयुक्त मार्गदर्शन के साथ जाँच के दौरान आपकी सहायता कर सकता है।

अधिक जानकारी और पृष्ठताछ के लिए कृपया [helpdesk.dgtr@gov.in](mailto:helpdesk.dgtr@gov.in) पर ई-मेल करें अथवा 1800-111-808 पर संपर्क करें।

संयुक्त सचिव (प्रशासन)  
वाणिज्य विभाग,  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,  
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011  
011-2306-2261



भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग



क्या आपके घरेलू उद्योग को आयात (इम्पोर्ट) के निम्नलिखित कारणों से हानि हो रही है:

- डम्पिंग?
- दूसरे देशों द्वारा दी जा रही सब्सिडी?
- आयात में अचानक तेजी?

यदि हां, तो आप व्यापार उपचार महानिदेशालय (डी.जी.टी.आर) में एंटी-डम्पिंग, काउंटरवेलिंग अथवा सेफगार्ड उपाय लगाने के लिए उपयुक्त व्यापार उपचार आवेदन-पत्र दे सकते हैं

अथवा

क्या आपके निर्यात (एक्सपोर्ट) पर किसी अन्य देश में व्यापार उपचार जाँच चल रही है?

यदि हां, तो डी.जी.टी.आर उपयुक्त मार्गदर्शन के साथ जाँच के दौरान आपकी सहायता कर सकता है।

अधिक जानकारी और पूछताछ के लिए कृपया [helpdesk.dgtr@gov.in](mailto:helpdesk.dgtr@gov.in) पर ई-मेल करें अथवा 1800-111-808 पर संपर्क करें।

संयुक्त सचिव (प्रशासन)  
वाणिज्य विभाग,  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,  
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011  
011-2306-2261



ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ  
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯ  
ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ



- ಡಂಪಿಂಗ್
- ವಿದೇಶಗಳ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಿಂದ
- ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿನ ದಿಢೀರ್ ಉಲ್ಬಣದಿಂದ

ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಆಮದುಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ?

ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಡಂಪಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ, ಕೌಂಟರ್‌ವೇಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ (DGTR) ಸಮರ್ಪಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರಿಹಾರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಅಥವಾ

ನಿಮ್ಮ ರಫ್ತುಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರಿಹಾರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ?

ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, DGTR ನಿಮಗೆ ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಬಲ್ಲದು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ [helpdesk.dgtr@gov.in](mailto:helpdesk.dgtr@gov.in) ಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ: 1800-111-808

ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ)

ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯ,

ಉದ್ಯೋಗ ಭವನ, ನವದೆಹಲಿ - 110011

011-2306-2261



ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ  
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯ  
ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ



- ಡಂಪಿಂಗ್
- ವಿದೇಶಗಳ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಿಂದ
- ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿನ ದಿಢೀರ್ ಉಲ್ಬಣದಿಂದ

ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಆಮದುಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ?

ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಡಂಪಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ, ಕೌಂಟರ್‌ವೇಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ (DGTR) ಸಮರ್ಪಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರಿಹಾರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಅಥವಾ

ನಿಮ್ಮ ರಫ್ತುಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರಿಹಾರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ?

ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, DGTR ನಿಮಗೆ ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಬಲ್ಲದು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ [helpdesk.dgtr@gov.in](mailto:helpdesk.dgtr@gov.in) ಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ: 1800-111-808

ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ)

ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯ,

ಉದ್ಯೋಗ ಭವನ, ನವದೆಹಲಿ - 110011

011-2306-2261

DAYP/05/01/13/0010/1920

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ



भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग



## क्या आपके घरेलू उद्योग को आयात (इम्पोर्ट) के निम्नलिखित कारणों से हानि हो रही है:

- डम्पिंग?
- दूसरे देशों द्वारा दी जा रही सब्सिडी?
- आयात में अचानक तेजी?

यदि हां, तो आप व्यापार उपचार महानिदेशालय (डी.जी.टी.आर) में एंटी-डम्पिंग, काउंटरवेलिंग अथवा सेफगार्ड उपाय लगाने के लिए उपयुक्त व्यापार उपचार आवेदन-पत्र दे सकते हैं

अथवा

## क्या आपके निर्यात (एक्सपोर्ट) पर किसी अन्य देश में व्यापार उपचार जाँच चल रही है?

यदि हां, तो डी.जी.टी.आर उपयुक्त मार्गदर्शन के साथ जाँच के दौरान आपकी सहायता कर सकता है।

अधिक जानकारी और पूछताछ के लिए कृपया [helpdesk.dgtr@gov.in](mailto:helpdesk.dgtr@gov.in) पर ई-मेल करें अथवा 1800-111-808 पर संपर्क करें।


संयुक्त सचिव (प्रशासन)  
वाणिज्य विभाग,  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,  
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011  
011-2306-2261

DAVP 05101/13/0010/1920

नबाने  
रोल्लम  
गोयल  
जल्दी  
भरोसा

नी

रही  
की  
के  
कार  
प्राप्ति  
नेज  
दिए  
गा  
इसे  
भर  
त्र  
वर  
ने  
की  
ही  
लि  
से  
व  
।  
न  
।



ભારત સરકાર  
વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલય  
વાણિજ્ય વિભાગ

શું તમારા ગૃહ ઉદ્યોગને આયાત (ઈમ્પોર્ટ)ના નીચે આપેલ કારણોથી નુકસાન થઈ રહ્યું છે:

- ડમ્પિંગ?
- બીજા દેશો દ્વારા અપાતી સબસિડી?
- આયાતમાં અચાનક તેજી?

જો હા, તો તમે વ્યાપાર ઉપચાર મહાનિદેશાલય (ડી.જી.ટી.આર.)માં એન્ટિ-ડમ્પિંગ, કાઉન્ટરવેલિંગ અથવા સેફગાર્ડ ઉપાય લગાડવા માટે ઉપર્યુક્ત વ્યાપાર ઉપચાર આવેદન પત્ર આપી શકો છો.

અથવા

શું તમારી નિકાસ (એક્સપોર્ટ) પર કોઈ અન્ય દેશમાં વ્યાપાર ઉપચાર તપાસ ચાલી રહી છે?

જો હા, તો ડી.જી.ટી.આર. ઉપર્યુક્ત માર્ગદર્શન સાથે તપાસ દરમિયાન તમારી સહાયતા કરી શકે છે.

વધુ જાણકારી અને પૂછપરછ માટે કૃપા કરી [helpdesk.dgtr@gov.in](mailto:helpdesk.dgtr@gov.in) પર ઇ-મેઈલ કરો



समर्थन जगत

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग

न्या आपके घरेलू उद्योग को आयात (इम्पोर्ट) के निम्नलिखित कारणों से हानि हो रही है:

डम्पिंग?  
दूसरे देशों द्वारा दी जा रही सब्सिडी?  
आयात में अचानक तेजी?

दि हां, तो आप व्यापार उपचार महानिदेशालय (डी.जी.टी.आर) में एंटी-डम्पिंग, क्वॉट्रवेलिंग अथवा सेफगार्ड उपाय लगाने के लिए उपयुक्त व्यापार उपचार आवेदन-पत्र सकते हैं

थवा


न्या आपके निर्यात (एक्सपोर्ट) पर किसी अन्य देश में व्यापार उपचार जाँच चल रही है?

दि हां, तो डी.जी.टी.आर उपयुक्त मार्गदर्शन के साथ जाँच के दौरान आपकी सहायता कर सकता है।





ભારત સરકાર  
વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલય  
વાણિજ્ય વિભાગ



**શું તમારા ગૃહ ઉદ્યોગને આયાત (ઈમ્પોર્ટ)ના નીચે આપેલ કારણોથી નુકસાન થઈ રહ્યું છે:**

- ડમિંગ?
- બીજા દેશો દ્વારા અપાતી સબસિડી?
- આયાતમાં અચાનક તેજી?

જો હા, તો તમે વ્યાપાર ઉપચાર મહાનિદેશાલય (ડી.જી.ટી.આર.)માં એન્ટિ-ડમિંગ, કાઉન્ટરવેલિંગ અથવા સેફગાર્ડ ઉપાય લગાડવા માટે ઉપર્યુક્ત વ્યાપાર ઉપચાર આવેદન પત્ર આપી શકો છો.

અથવા

**શું તમારી નિકાસ (એક્સપોર્ટ) પર કોઈ અન્ય દેશમાં વ્યાપાર ઉપચાર તપાસ ચાલી રહી છે?**

જો હા, તો ડી.જી.ટી.આર. ઉપર્યુક્ત માર્ગદર્શન સાથે તપાસ દરમિયાન તમારી સહાયતા કરી શકે છે.

વધુ જાણકારી અને પૂછપરછ માટે કૃપા કરી [helpdesk.dgtr@gov.in](mailto:helpdesk.dgtr@gov.in) પર ઈ-મેઇલ કરો

DAVP 05101/13/0010/1920



Government of India  
Ministry of Commerce & Industry  
Department of Commerce



## Is your Domestic Industry facing injury from imports due to:

- Dumping?
- Subsidies by foreign countries?
- Sudden surge in imports?

If so, you can file an appropriate trade remedy application for imposing anti-dumping, countervailing or safeguard measure, in Directorate General of Trade Remedies (DGTR)

OR

## Are your exports facing any trade remedy investigation in another country?

If so, DGTR can assist you during the investigation with suitable guidance.

For further guidance or enquiry please e-mail at [helpdesk.dgtr@gov.in](mailto:helpdesk.dgtr@gov.in) or call us at 1800-111-808

Joint Secretary (Administration)  
Department of Commerce,  
Ministry of Commerce and Industry,  
Udyog Bhawan, New Delhi, 110011  
011-2306-2261



भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग



**क्या आपके घरेलू उद्योग को आयात (इम्पोर्ट) के निम्नलिखित कारणों से हानि हो रही है:**

- डम्पिंग?
- दूसरे देशों द्वारा दी जा रही सब्सिडी?
- आयात में अचानक तेजी?

यदि हां, तो आप व्यापार उपचार महानिदेशालय (डी.जी.टी.आर) में एंटी-डम्पिंग, काउंटरवेलिंग अथवा सेफगार्ड उपाय लगाने के लिए उपयुक्त व्यापार उपचार आवेदन-पत्र दे सकते हैं

अथवा

**क्या आपके निर्यात (एक्सपोर्ट) पर किसी अन्य देश में व्यापार उपचार जाँच चल रही है?**

यदि हां, तो डी.जी.टी.आर उपयुक्त मार्गदर्शन के साथ जाँच के दौरान आपकी सहायता कर सकता है।

अधिक जानकारी और पूछताछ के लिए कृपया [helpdesk.dgtr@gov.in](mailto:helpdesk.dgtr@gov.in) पर ई-मेल करें अथवा 1800-111-808 पर संपर्क करें।

संयुक्त सचिव (प्रशासन)  
वाणिज्य विभाग,  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,  
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011  
011-2306-2261

DAVP-05101/13/00010/1920

संस्थापक के  
संबंध  
उनी  
लिए  
का  
साथ  
जी  
भाग  
हो  
लिए  
सीदी  
हैं।  
का  
है।

गे  
न

कर  
कभी

छ  
हा  
दा  
हा  
ग  
दिल  
से  
र  
में  
क  
के  
हा  
धी  
र  
ही  
ग  
से

य



ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ  
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂತ್ರಾಲಯ  
ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ



## ಕೆಳಕಂಡ ಆಮದುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ

- ಬೇಡವಾದ ಆಮದು?
- ವಿದೇಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ?
- ಆಮದಿನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳ?

ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಹಾರಗಳ ಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಜಿಟೀಆರ್)ನಲ್ಲಿ ಬೇಡವಾದ ಆಮದು, ಹಾನಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಹಾರದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

## ಅಥವಾ

## ನಿಮ್ಮ ರಫ್ತುಗಳು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪರಿಹಾರ ತನಿಖೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ?

ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಡಿಜಿಟೀಆರ್ ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ನೀಡಬಹುದು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ [helpdesk.dgtr@gov.in](mailto:helpdesk.dgtr@gov.in) ಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಅಥವಾ 1800-111-808ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ)

ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂತ್ರಾಲಯ  
ಉದ್ಯೋಗ ಭವನ, ನವ ದೆಹಲಿ, 110011

011-2306-2261



ଭାରତ ସରକାର  
ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ  
ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ



DAYP 05101/13/0010/1920

## ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପକୁ ଆମଦାନୀ (ଇମ୍ପୋର୍ଟ)ର ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚି କି:

- ଡମ୍ପିଂ ?
- ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ବିଆଯାଉଥିବା ସର୍ବସିଡି ?
- ଆମଦାନୀ ପରିମାଣ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ?

ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ଉପଚାର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଡିଜିଟିଆର)ରେ ଆଣ୍ଟି-ଡମ୍ପିଂ, କାଉଣ୍ଟରଭେଲିଂ କିମ୍ବା ସେପ୍ଟିମାଟ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାପାର ଉପଚାର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରନ୍ତି

### କିମ୍ବା

## ଆପଣଙ୍କ ରପ୍ତାନୀ (ଏକ୍ସପୋର୍ଟ) ଉପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ବ୍ୟାପାର ଉପଚାର ଯାଞ୍ଚର ସମ୍ଭୁତ ସମ୍ଭାବନା ହେଉଅଛି କି ?

ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଡି.ଜି.ଟି.ଆର. ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିପାରିବ ।

ଅଧିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଦୟାକରି [helpdesk.dgtr@gov.in](mailto:helpdesk.dgtr@gov.in)ରେ ଇ-ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମକୁ ୧୮୦୦-୧୧୧-୮୦୮ରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ

ସୁଗ୍ନ ସଚିବ (ପ୍ରଶାସନ)  
ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ,  
ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ,  
ଉଦ୍ୟୋଗ ଭବନ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୧୧୦୦୧୧  
୦୧୧-୨୩୦୭-୨୨୭୧



भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग



क्या आपके घरेलू उद्योग को आयात (इम्पोर्ट) के निम्नलिखित कारणों से हानि हो रही है:

- डम्पिंग?
- दूसरे देशों द्वारा दी जा रही सब्सिडी?
- आयात में अचानक तेजी?

यदि हां, तो आप व्यापार उपचार महानिदेशालय (डी.जी.टी.आर) में एंटी-डम्पिंग, काउंटरवेलिंग अथवा सेफगार्ड उपाय लगाने के लिए उपयुक्त व्यापार उपचार आवेदन-पत्र दे सकते हैं

अथवा

क्या आपके निर्यात (एक्सपोर्ट) पर किसी अन्य देश में व्यापार उपचार जाँच चल रही है?

यदि हां, तो डी.जी.टी.आर उपयुक्त मार्गदर्शन के साथ जाँच के दौरान आपकी सहायता कर सकता है।

अधिक जानकारी और पूछताछ के लिए कृपया [helpdesk.dgtr@gov.in](mailto:helpdesk.dgtr@gov.in) पर ई-मेल करें अथवा 1800-111-808 पर संपर्क करें।

संयुक्त सचिव (प्रशासन)  
वाणिज्य विभाग,  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,  
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011  
011-2306-2261



## କ'ଣ ଆପଣ ନିଜ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗର ଆମଦାନୀ (ଇମ୍ପୋର୍ଟ)ରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ହେଉଛି :

- \* ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ?
- \* ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଦିଆ ଯାଉଥିବା ସବ୍‌ସିଡି ?
- \* ଆମଦାନୀରେ ଅଗାଧକ ବୃଦ୍ଧି ?

ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ଉପଚାର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଡି.ଜି.ଟି.ଆର.)ରେ ଏଣ୍ଟି-  
ଡମ୍ପିଙ୍ଗ, କାଉଣ୍ଟରଭେଲିଙ୍ଗ ଅଥବା ସେଫଗାର୍ଡ୍ ଉପାୟ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାପାର  
ଉପଚାର ଆବେଦନ-ପତ୍ର ଦେଇପାରିବେ ।

କିମ୍ପା

### କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରପ୍ତାନୀ (ଏକ୍ସପୋର୍ଟ) ଉପରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପାର ଉପଚାର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲୁଅଛି ?

ଯଦି ହଁ, ତାହାହେଲେ ଡି.ଜି.ଟି.ଆର. ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର  
ସହାୟତା କରିପାରିବ ।

ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର (helpdesk.dgtr@gov.in) କଲେକ୍ଟ କିମ୍ବା ୧୮୦୦-୧୧୧-୮୦୮ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ ।

ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ (ପ୍ରଶାସନ)

ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ

ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ

ଉଦ୍ୟୋଗ ଭବନ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୧୧୦୦୧୧

୦୧୧-୨୩୦୬-୨୨୬୧

DAVP 05101/13/0010/1920



ભારત સરકાર  
વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલય  
વાણિજ્ય વિભાગ

DAVP 05101/13/0010/1928

શું તમારા ઘરેલુ ઉદ્યોગને આયાત (ઈમ્પોર્ટ)ને કારણે નુકશાન થઈ રહ્યું છે :

- ડમ્પિંગ ?
- બીજા દેશો દ્વારા આપવામાં આવતી સબસીડી ?
- આયાતમાં અચાનક તેજી ?

જો હા, તો તમે ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ ટ્રેડ રેમેડીઝ (ડીજીટીઆર)માં એન્ટિ-ડમ્પિંગ, કાઉન્ટરવેઇલિંગ અથવા સેફગાર્ડ માપદંડ લાદવા માટે યોગ્ય વેપાર ઉપાય અરજી કરી શકો છો.

અથવા

શું તમારી નિકાસ (એક્સપોર્ટ) પર કોઈ બીજા દેશમાં વેપાર ઉપાય તપાસ ચાલી રહી છે ?

જો હા, તો ડીજીટીઆર યોગ્ય માર્ગદર્શન સાથે તપાસ દરમિયાન તમારી મદદ કરી શકે છે.

વધુ જાણકારી અને પુછપરછ માટે કૃપા કરી [helpdesk.dgtr@gov.in](mailto:helpdesk.dgtr@gov.in) પર ઈ-મેલ અથવા ૧૮૦૦-૧૧૧-૮૦૮ પર સંપર્ક કરો.

સંયુક્ત સચિવ (એડમીનીસ્ટ્રેશન)  
વાણિજ્ય વિભાગ,  
વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલય,  
ઉદ્યોગ ભવન, નવી દિલ્હી - ૧૧૦૦૧૧  
૦૧૧-૨૩૦૬-૨૨૬૧





ഭാരത സർക്കാർ  
വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം  
വാണിജ്യ വകുപ്പ്



**താഴെ പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ നിങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര വ്യവസായം ഇറക്കുമതിയിൽ നിന്ന് ഹാനി നേരിടുന്നുണ്ടോ:**

- . ഇറക്കുമതി കുമ്പാരം?
- . വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ സബ്സിഡി?
- . ഇറക്കുമതിയിൽ പെട്ടെന്നുള്ള വർദ്ധനവ്?

DAYP 05101/130010/1920

എങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആന്റി ഡംപിംഗ്, പരിഹാരമാർഗ്ഗം അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിത നടപടി കൾക്കായി ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ട്രേഡ് റെഗുലേഷൻ (DGTR) ൽ അനുയോജ്യമായ ട്രേഡ് റെഗുലേഷൻ അപേക്ഷ ഫയൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

**അല്ലെങ്കിൽ**

**നിങ്ങളുടെ കയറുമതി മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് ഏതെങ്കിലും വാണിജ്യ പരിഹാര അന്വേഷണം നേരിടുന്നുണ്ടോ?**

എങ്കിൽ, ഡിജിറ്റിആർ-ന് ഉചിതമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകി അന്വേഷണ പ്രക്രിയയിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും.

കൂടുതൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിനും അന്വേഷണത്തിനും ദയവായി ഇ-മെയിൽ ചെയ്യുക:  
[helpdesk.dgtr@gov.in](mailto:helpdesk.dgtr@gov.in) അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുക: 1800-111-808  
 ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി (അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ)  
 വാണിജ്യ വകുപ്പ്,  
 വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം  
 ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ന്യൂഡൽഹി-110011  
 011-2306-2261



ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ  
ਵਾਣਿਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ  
ਵਾਣਿਜ ਵਿਭਾਗ



## ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਯਾਤ (ਇਮਪੋਰਟ) ਦੇ ਹੇਠਲਿਖਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ:

- ਡਾਪਿੰਗ?
- ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ?
- ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ੀ?

ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਉਪਚਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਡੀ.ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ) ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਡਾਪਿੰਗ, ਕਾਊਂਟਰਵੇਲਿੰਗ ਜਾਂ ਸੇਫਗਾਰਡ ਹੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਵਪਾਰ ਉਪਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਜਾਂ

## ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਯਾਤ (ਐਕਸਪੋਰਟ) 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਉਪਚਾਰ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ. ਉਪਯੁਕਤ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਾ [helpdesk.dgtr@gov.in](mailto:helpdesk.dgtr@gov.in) 'ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 1800-111-808 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ)  
ਵਾਣਿਜ ਵਿਭਾਗ  
ਵਾਣਿਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ  
ਓਰੀਜਨਲ ਕਰਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110011

DAVP 05101/13/0010/1920



ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ  
ਬਟਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ  
ਬਟਲ ਵਿਭਾਗ



## ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ (ਇੰਪੋਰਟ) ਦੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ :

- ਡੰਪਿੰਗ ?
- ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ?
- ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ?

ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਉਪਚਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.) ਵਿਚ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ, ਕਾਊਂਟਰਵੇਲਿੰਗ ਜਾਂ ਸੇਫਗਾਰਡ ਉਪਾਅ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਵਪਾਰ ਉਪਚਾਰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਜਾਂ

## ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਮਦ (ਐਕਸਪੋਰਟ) 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਉਪਚਾਰ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਡੀ. ਜੀ. ਟੀ. ਆਰ. ਢੁੱਕਵੇਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਛਗਿਛ ਦੇ ਨਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ [helpdesk.dgtr@gov.in](mailto:helpdesk.dgtr@gov.in) 'ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 1800-111-808 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸੁਆਇਟ ਸਕੱਤਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ)  
ਬਟਲ ਵਿਭਾਗ,  
ਬਟਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ,  
ਉਦਯੋਗ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110011  
011-2306-2261

DAYP 05101/13/0010/1920

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110001

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110001



भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग



## क्या आपके घरेलू उद्योग को आयात (इम्पोर्ट) के निम्नलिखित कारणों से हानि हो रही है:

- डम्पिंग?
- दूसरे देशों द्वारा दी जा रही सब्सिडी?
- आयात में अचानक तेजी?

यदि हां, तो आप व्यापार उपचार महानिदेशालय (डी.जी.टी.आर) में एंटी-डम्पिंग, काउंटरवेलिंग अथवा सेफगार्ड उपाय लगाने के लिए उपयुक्त व्यापार उपचार आवेदन-पत्र दे सकते हैं

अथवा

## क्या आपके निर्यात (एक्सपोर्ट) पर किसी अन्य देश में व्यापार उपचार जाँच चल रही है?

यदि हां, तो डी.जी.टी.आर उपयुक्त मार्गदर्शन के साथ जाँच के दौरान आपकी सहायता कर सकता है।

अधिक जानकारी और पूछताछ के लिए कृपया [helpdesk.dgtr@gov.in](mailto:helpdesk.dgtr@gov.in) पर ई-मेल करें अथवा 1800-111-808 पर संपर्क करें।

संयुक्त सचिव (प्रशासन)  
वाणिज्य विभाग,  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,  
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011  
011-2306-2261



भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग

DAVP-05101/13/0010/1920

## क्या आपके घरेलू उद्योग को आयात (इम्पोर्ट) के निम्नलिखित कारणों से हानि हो रही है:

- डम्पिंग?
- दूसरे देशों द्वारा दी जा रही सब्सिडी?
- आयात में अचानक तेजी?

यदि हां, तो आप व्यापार उपचार महानिदेशालय (डी.जी.टी.आर) में एंटी-डम्पिंग, काउंटरवेलिंग अथवा सेफगार्ड उपाय लगाने के लिए उपयुक्त व्यापार उपचार आवेदन-पत्र दे सकते हैं

अथवा

## क्या आपके निर्यात (एक्सपोर्ट) पर किसी अन्य देश में व्यापार उपचार जाँच चल रही है?

यदि हां, तो डी.जी.टी.आर उपयुक्त मार्गदर्शन के साथ जाँच के दौरान आपकी सहायता कर सकता है।

अधिक जानकारी और पूछताछ के लिए कृपया [helpdesk.dgtr@gov.in](mailto:helpdesk.dgtr@gov.in) पर ई-मेल करें अथवा 1800-111-808 पर संपर्क करें।

संयुक्त सचिव (प्रशासन)  
वाणिज्य विभाग,  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,  
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011  
011-2306-2261